सहभागी संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास केन्द्रों की योजना

1 पूर्ववृत

1.1 ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) के अनुसार कृषि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एम.एस.एम.ई.) सहित निजी क्षेत्र (प्राइवेट सैक्टर) और निगमित क्षेत्र (कारपोरेट सेक्टर) को तीव्रतम तथा और अधिक समावेशक विकास के उददेश्य को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभानी है । विशेषकर सूक्ष्म, लघु, और मध्यम उद्यमों की संतुलित क्षेत्रीय उत्पादन संवर्धन और व्यापक परिक्षेपित गैर–कृषि रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है । इसके अतिरिक्त दृष्टिकोण पत्र (एप्रोच पेपर) में शिक्षित बेरोजगार युवाओं, विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में, के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी बल दिया गया है, चूंकि बेरोजगारी अनुपात गंभीर स्थिति में पहुँच गया है । इस सन्दर्भ में ''*पिरामिड के तल*'' की ओर घ्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है, चूंकि बाजार सिद्धान्त उत्तरोत्तर इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि धन का अर्जन लोगो को गरीबी से निकालने में सहायता करते हुये भी किया जा सकता है ।

1.2 उद्यमिता विकास सूक्ष्म और लघु उद्यमों, विशेषकर प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों, के संवर्धन हेतु एक मुख्य तत्व है । धन अर्जन के तहत सशक्तिकरण और विकास के लिए उद्यमिता एक महत्वपूर्ण साधन है । राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों के ठोस प्रयासों के बावजूद यह महसूस किया गया है कि अन्तर को पाटने हेतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक / महिला वर्गो के प्रशिक्षणार्थियों के लिए, जो मौजूदा प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क से बाहर छूट गये हैं, चुनिंदा पिछड़े / ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता प्रक्षिक्षण प्रदान किये जाने और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ई. डी. पी.) आयोजित किये जाने की आवश्यकता है । इस अन्तराल को पाटने के लिए सार्वजनिक निजी सहभागिता मोड के द्वारा सारे देश में, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक बहुल दूर–दराज के और पिछडे क्षेत्रों पर विशेष घ्यान केन्द्रित करते हुये, उद्यमिता विकास केन्द्रो (ई. डी. सी.) के विस्तृत नेटवर्क के प्रस्थापन को प्रोत्साहित किये जाने की आवश्यकता है ।

1.3 इसलिए विस्तृत रूप में उद्यमिता विकास संवर्धन हेतु सार्वजनिक (पब्लिक) और निजी (प्राइवेट) दोनों प्रकार के संस्थानों को प्रयास में शामिल किये जाने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त निजी (प्राइवेट) और स्थानीय स्तरीय सहभागी संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण की गुणवत्ता (क्वालिटी) सुनिश्यित किये जाने हेतु इस प्रकार के सहभागी संस्थानों को मानकीकृत कोर्स पाठयक्रम, अच्छी गुणवत्ता की प्रशिक्षण सामग्री, प्रशिक्षकों / कोर संकाय के प्रशिक्षण के तहत क्षमता निर्माण, ई–लर्निगं / वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तरीय विशेषज्ञों से उच्च गुणवत्ता के प्रशिक्षण निवेश और प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों / उद्यमिता विकास सस्थानों (ई.डी.आई.) के सहयोग से आदान–प्रदान कार्यक्रमों और संयुक्त प्रमाणन हेतु उचित तंत्र प्रदान कराकर आवश्यक मार्गदर्शन मुहैया कराये जाने की आवश्यकता है । उद्यमिता

विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सहभागी संस्थानों की भागीदारी को राष्ट्रीय स्तरीय उद्यमिता विकास संस्थानों के साथ उचित गठबंधन व्यवस्था विकसित करके प्रोत्साहित किया जा सकता है ।

2 राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान की भूमिका और कार्यक्षेत्र

2.1 राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) की स्थापना 1983 में प्रशिक्षण, शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श सेवाओं के माध्यम से उद्यमिता और लघु व्यवसाय के संवर्धन, सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु उद्यमिता विकास हेतु एक शीर्ष संस्थान के रूप में हुई थी । संस्थान के मुख्य कार्यों में विभिन्न लक्षित समूहों के प्रशिक्षण हेतु मानकीकृत पाठयक्रम तैयार करना, प्रभावी प्रशिक्षण कार्यनीतियां, प्रणालियां, मैनुअलस और टूलस मुहैया कराना और केन्द्रीय / राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास के कार्यक्रम आयोजित करने में सुविधायें और सहायता प्रदान करना, लाभों में संवर्धन करना और उद्यमिता विकास की प्रक्रिया को तेज करना; उत्प्रेरको, प्रशिक्षकों और उद्यमियों के लिए कार्यक्रम, जो प्राय: दूसरी एजेंसियों द्वारा आयोजित नहीं किये जाते, आयोजित करना और समाज में उद्यमिता प्रकृति के विकास में सहायक कार्यकलाप आयोजित करना शामिल है ।

2.2 संस्थान विभिन्न लक्षित समूहों के लिए उद्यमिता में पाठयक्रम तैयार करने, संकाय प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सहायता तैयार करने जैसे विभिन्न तरीको से अन्य उद्यमिता विकास संस्थानों की सहायता भी करता है ।

2.3 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण क्षेत्र में संस्थान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है । इनमें व्यवसायिकों / प्रशिक्षको के लिए प्रत्यायन कार्यक्रम, व्यवसाय परामर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु व्यवसाय नियोजन और संवर्धन कार्यक्रम, उद्यमिता प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रामीण विकास पर कार्यक्रम शामिल है । संस्थान राज्य सरकारा ें क े उद्यागे विभागा े आरै गरै -सरकारी सगं ठना ें के विकास अधिकारियों के लिए अभिमुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है ।

2.4 संस्थान, महिलाओं के लिए लघु व्यवसाय संवर्धन हेतु सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की फील्ड कार्यकर्ताओं और व्यवसाय परामर्शको की क्षमता निर्माण हेतु विभिन्न कार्यक्रम भी चला रहा है ।

2.5 उपयुर्क्त कोर-सक्षमताओं के होते हुये भी संस्थान की पहुंच, सीमित ढांचे, संकाय और संसाधनों के सन्दर्भ में प्रतिबंधित है । इसके बावजूद संस्थान की निजी क्षेत्र (प्राईवेट सैक्टर) में स्थानीय स्तर पर उचित गठबंधन व्यवस्था करके इसकी विशेषज्ञता का इस्तेमाल सारे देश भर में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के विस्तारण हेतु, विशेषकर पूर्वोतर भारत में, किया जा सकता है ।

3 उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सहभागी संस्थानों हेतु अवसर

3.1 निसबड उद्यमिता विकास क्षेत्र में भारत के उत्तरी भाग में शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान होने के नाते प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने और अन्य आय सृजक स्कीमों / कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करने हेतु, विशेषकर दूर–दराज के और पिछडे क्षेत्रों में, सहभागी संस्थानों (पी.आई) से प्रस्ताव आमंत्रित करेगा । इस प्रयास के तहत संस्थान अन्य स्थानीय / अति निचले स्तरीय सहभागी संस्थानों के साथ उचित गठजोड़ व्यवस्था के तहत सहभागी होगा और पारस्परिक आदान–प्रदान करेगा ।

3.2 इसलिए फील्ड स्तर पर पर्याप्त सुविधाओं के साथ सुसज्जित ऐसे सहभागी संस्थानों की पहचान करने का प्रस्ताव है जो निसबड के सहयोग से उद्यमिता विकास और दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चला सके । ऐसे संस्थानों को उद्यमिता विकास और दक्षता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु सहभागी का दर्जा प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित मापदंडो को पूरा किये जाने की आवश्यकता है ।

3.3 निसबड पर प्रशिक्षण पाठयक्रम, उच्च गुणवत्ता (क्वालिटी) की प्रशिक्षण सामग्री (आडियो–वीडियो सामग्री सहित), सहभागी संस्थान के कोर–संकाय / प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के तहत क्षमता निर्माण और वीडियो कांफ्रेसिंग के तहत ई–क्लासिस सुविधा मुहैया कराने का दायित्व होगा । निसबड ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम भी तैयार करेगा जिनमें प्रशिक्षण अवधि के एक लघु भाग हेतु आन कैंपस (निसबड) प्रशिक्षण माडयूल और अन्य प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थानों के साथ आदान–प्रदान कार्यक्रम शामिल होगें । प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन का निसबड और संबंधित सहभागी संस्थान, से संयुक्त प्रमाणन होगा ।

3.4 इस व्यवस्था से निसबड और सहभागी संस्थान दोनों को सहायता प्राप्त होगी । जहां निसबड सीमित संसाधनो और ढांचे के साथ काफी संख्या में सक्षम उद्यमियो को प्रशिक्षण प्रदान करने और अपने कार्य आदेश पत्र को पूरा करने में सक्षम होगा और अपनी आर्थिक सक्षमता में सुधार करेगा वहां सहभागी संस्थान को अपने संकाय की क्षमता निर्माण का लाभ प्राप्त होगा, उनकी ई–क्लासो और आदान–प्रदान कार्यक्रमों के तहत निसबड के ढांचे और संसाधनों, संसाधित ब्रांड छवि और विश्वसनीयता तक पहुंच होगी और भारत सरकार के राष्ट्रीय स्तरीय संस्थान के साथ संबद्धता होने के कारण संवर्धित लाभ प्राप्त होगा ।

4 उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित करने हेतु विस्तृत कार्यविधि

4 1 सहभागी संस्थान के रूप में स्वीकार्यता हेतु आधार

4.1.1 निसबड उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु आवेदक सहभागी संस्थान की तकनीकी क्षमता, संकाय संख्या और ढांचे पर बल देगा जो निम्नलिखित मापदंडो के मद्देनजर होगा:

(प) आवेदक सहभागी संस्थान के पास उद्यमिता विकास / दक्षता प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने और प्रबन्ध करने की क्षमता और उचित अनुभव होना चाहिए ।
(पप) आवेदक सहभागी संस्थान के पास उद्यमिता विकास केन्द्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु अपेक्षित तकनीकी / व्यावसयिक योग्ताओं के साथ 'कोर-संकाय' होना चाहिए और उद्यमिता विकास केन्द्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में सहभागी संस्थान की सहायता करने में इच्छुक प्रतिष्ठित प्रोफेसरों / अतिथि संकायो का एक पैनल भी होना चाहिए ।
(पपप) आवेदक सहभागी संस्थान उद्यमिता / दक्षता विकास प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्य के साथ एक सोसाइटी के तौर पर पंजीकृत होना चाहिए ।
(पअ) आवेदक सहभागी संस्थान पिछले तीन वर्षो के दौरान वार्षिक रिपोर्टों और तुलन पत्रों में दर्शाये गये विवरण अनुसार, कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत होना चाहिए ।
(अ) आवेदक सहभागी संस्थान के पास उद्यमिता विकास केन्द्र की स्थापना हेतु अपेक्षित फर्निचर, कंप्यूटरों, श्रव्य-दृश्य (आडियो विजुअल) उपकरणों और अन्य प्रशिक्षण सहायता के साथ पर्याप्त जगह होनी चाहिए ।
(अप) आवेदक सहभागी संस्थान के पास उद्यमिता केन्द्र पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माघ्यम से ई-क्लास का आयोजन किये जाने हेतु आवश्यक ढांचा / प्र वधान हाने ा चाहिए ।
(अपप) आवेदक सहभागी संस्थान को किसी सरकारी विभाग अथवा वित्तीय संस्थान की काली सूची में नहीं डाला गया होना चाहिए ।
(अपपप) आवेदक सहभागी संस्थान वित्तीय तौर पर सक्षम और आत्मनिर्भर होना चाहिए (जैसा कि सहभागी संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट और तुलन-पत्र में दर्शाया गया है) ।
4.1.2 निसबड सहभागी संस्थान को उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु स्वीकार्यता हेतु, वस्तुगत संरचना, संकाय संख्या, वित्तीय सुदृढ़ता, उद्योग और वित्तीय संस्थानों के साथ संपर्को, अवस्थिति आदि जैसे तथ्यों को महत्व देते हुये, उचित मापदंड निर्धारित करेगा ।

4 2 निसबड के दायित्व

4.2.1 सहभागिता व्यवस्था के अंतगर्त निसबड के दायित्व निम्न प्रकार से होगें:

(प) अपेक्षित योग्यता मापदंड पूरा करने पर आवेदक संस्थान को सहभागी संस्थान के रूप में स्वीकार करना और उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित करने में उसकी मदद करना ।
(पप) उद्यमिता विकास केन्द्र पर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सहभागी संस्थान के प्रशिक्षकों / कोर संकायो को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

(पपप) सहभागी संस्थान द्वारा उद्यमिता विकास केन्द्र पर नामांकित प्रशिक्षणर्थियों हेतु कोर्स / पाठयक्रम डिजाइन और प्रशिक्षण किट मुहैया कराना ।
(पअ) प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार ई–क्लासों / वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण निवेश मुहैया कराना ।
(अ) प्राधिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा हो जाने पर निसबड के कार्यपालक निदेशक और उद्यमिता विकास केन्द्र के प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किये जाने हेतु सभी पंजीकृत प्रशिक्षणाथियों के लिए निसबड का नाम, लोगो और होलोग्राम; सहभागी संस्थान / उद्यमिता विकास केन्द्र का नाम; प्रशिक्षणार्थी का नाम, पिता का नाम, पता, पंजीकरण संख्या और फोटोग्राफ तथा कार्यक्रम विवरण यथा तारीख, अवधि आदि के साथ प्रि–प्रिंटिड प्रमाण–पत्र मुहैया कराना ।
(अप) सहभागी संस्थान की क्षमता निर्माण हेतु उसे तकनीकी / व्यावसायिक मार्गदर्शन मुहैया कराना ।

4 3 सहभागी संस्थान के दायित्व

4.3.1 उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सहभागिता व्यवस्था के अंतगर्त सहभागी संस्थान के दायित्व / जिम्मेदारियां निम्न प्रकार होंगी:

(प) निसबड को निर्धारित आवेदन शुल्क का और निरीक्षण शुल्क का भुगतान करना और निर्धारित सिक्योरिटी डिपाजिट (वापिसी योग्य और बिना ब्याज के साथ) जमा करना ।
(पप) निसबड के साथ अपेक्षित सहभागिता करारनामा निष्पादित करना ।
(पपप) सहभागिता करारनामा निष्पादित करते समय निसबड द्वारा यथा उचित आकलित उचित संरचना और कोर संकाय का रख–रखाव करना ।
(पअ) सुविधा रख–रखाव के उद्देश्यार्थ नियुक्त तकनीकी परामर्शको की संतुष्टि के अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग / ई–क्लासिस के तहत प्रशिक्षण निवेश प्राप्त करने हेतु व्यवस्था करना ।
(अ) सहभागिता व्यवस्था के अंतर्गत अधिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में उचित मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करना ।(अप) निसबड द्वारा मुहैया कराये गये कलैंडर / अनुसूची के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना ।(अपप) प्रशिक्षार्थियों का उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी प्रवेश मापदंडों का अनुसरण करते हुये नामांकन करना ।
(अपपप) नामांकित प्रशिक्षणार्थियों का (प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का निर्धारित विवरण देते हुये) निसबड की वैबसाइट / सर्वर पर आन–लाइन पंजीकरण करना ।
(पग) प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण किट मुहैया कराना और 'सामान्य श्रेणी' के प्रशिक्षणार्थियों से उसकी लागत वसूल करते हुये उसे निसबड को जमा करना और प्रायोजक एजेंसी / मंत्रालय से निसबड को लागत की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सहायक प्रलेखों सहित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षणार्थियों (जिन्हे प्रशिक्षण किट निशुल्क दिये जायेगें) के विवरण प्रस्तुत करना ।
(ग) निसबड को सफल प्रशिक्षणार्थियों की सूची प्रस्तुत करना ।

(गप) उद्यमिता विकास केन्द्र के प्रभारी के काउंटर हस्ताक्षरों के साथ सफल प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र (निसबड से प्राप्त) प्रदान करना ।

(गपप) प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा हो जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र में विस्तृत फीड बैक प्रस्तुत करना ।

(गपपप) प्रधिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु नामांकित प्रशिक्षणार्थियों के डाटा बेस का अनुरक्षण करना और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई और उचित फीड बैक तंत्र के तहत प्रगति की मानीटरिंग करना ।

(गपअ) उन प्रशिक्षणार्थियों को, जिन्होंने अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और अपना निजी उद्यम स्थापित करना चाहते है, प्रशिक्षण उपरांत प्रारंभिक (हैंड होल्डिंग) सहायता मुहैया कराना ।

(गअ) निसबड से प्राप्त प्रशिक्षण सामाग्री अथवा किसी अन्य निवेश का गलत इस्तेमाल न करना ।

(गअप) सहभागिता करार की किसी भी शर्त का उल्लघंन न करना ।

(गअपप) लेखों की जांच पड़ताल करने, निरीक्षण करने, रिकार्डो, दस्तावेजों, परिसंपत्ति विवरणों आदि की सभी उचित समयों के दौरान जांच-पड़ताल करने हेतु निसबड नियुक्त अधिकारियों और अन्य व्यावसायिकों / विशेषज्ञों को ऐसा करने हेतु अनुमति देना और उन्हें उक्त दस्तावेज बिना किसी देरी अथवा प्रतिरोध के उपलब्ध कराना ।

(गअपपप) कोर संकाय / अतिथि संकाय / स्टाफ अथवा कर्मचारियों को वेतन/ भत्तों / परिश्रामिक आदि का भुगतान करना और उद्यमिता विकास केन्द्र / सहभागी संस्थान द्वारा किये गये व्यय की देनदारी का भुगतान करना ।

निसबड अथवा सरकार इस संबध में किसी प्रकार का भुगतान करने अथवा देनदारी के जिम्मेदार नहीं होंगें ।

(गपग) स्थानीय प्राधिकरणों / राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा लगाई गई शर्तो अथवा अन्य औपचारिकताओं का पालन करना ।

(गग) निसबड के प्रति किसी देनदारी के बिना आय पर सभी करों का भुगदान करना ।

(गगप) सहभागिता करार समाप्त हो जाने के बाद निसबड के नाम अथवा लोगो का इस्तेमाल न करना ।

4 4 **मुआवजा**

4.4.1 एक सहभागी संस्थान के तौर पर स्वीकार्यता हेतु निसबड द्वारा विचार किये जाने हेतु और स्थापना हेतु प्रशिक्षण संसाधनों, तकनीकी-व्यवसायिक जानकारी मुहैया कराने हेतु और सहभागिता करारनामें की अवधि के दौरान कोर संकाय की क्षमता निर्माण सहित उद्यमिता विकास केन्द्र पर कार्यक्रमों का आयोजन किये जाने हेतु सहभागी संस्थान पर निसबड को निम्न लिखित देनदारियों का दायित्व होगाः

(प) आवेदन के समय 2,500/- रुपये (रुपये दो हजार पांच सौ मात्र) आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय) ।

(पप) जांच पड़ताल और लघु सूचीयन के बाद 7,500/- रुपये (सात हजार पांच सौ रुपये मात्र) प्रक्रिया और निरीक्षण शुल्क (अप्रतिदेय) ।
(पपप) संस्थागत सदस्यता शुल्क, जैसा भी लागू हो (वर्तमान में 5,000/- रुपये (रुपये पांच हजार मात्र)-(अप्रतिदेय) ।
(पअ) सामान्य श्रेणी के संस्थानों के लिए 2,00,000/- रुपये (रुपये दो लाख मात्र) प्रतिदेय (बिना ब्याज के साथ) सिक्योरिटी जमा और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत संस्थानों के लिए 1,00,000/- रुपये (रुपये एक लाख मात्र) ।
(अ) करारनामा नवीकरण के समय 6,000/-रुपये (रुपये छह हजार मात्र) नवीकरण शुल्क अप्रतिदेय) ।
(अप) नीचे पैरा 4.5 में उल्लिखित अनुसार प्रशिक्षण प्रभार / शुल्क का हिस्सा ।
(अपप) नामांकित प्रशिक्षणार्थियों से वसूल किये गये पंजीकरण शुल्क का पच्चास (50%) प्रतिशत ।

4 5 प्रशिक्षण प्रभार / शुल्क की सहभागिता

4.5.1 निसबड की सहभागिता में उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा आयोजित किये गये उद्यमिता और दक्षता विकास कार्यक्रमों हेतु प्रशिक्षण प्रभारों / शुल्क की सहभागिता निम्न प्रकार से की जाएगी:
(प) निसबड द्वारा अधिप्राप्त और उद्यमिता विकास केन्द्र को दिये गये प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, निसबड की प्रशिक्षण सामाग्री का इस्तेमाल किये जाने और निसबड से सीधे निवेश (वीडियो कांफ्रेसिंग / ई-क्लासिस के माध्यम से) प्राप्त करने हेतु प्रायोजक एजेंसी से प्रशिक्षण प्रभार निसबड द्वारा सीधे वसूल किये जायेगें और उसके एक भाग की, जैसा निसबड द्वारा निर्धारित किया जायेगा - जो निवेशों (श्रम घंटों) और सहभागी संस्थान के योगदान पर निर्भर करेगा -सहभागी संस्थान के साथ सहभागिता की जायेगी ।
(पप) प्रशिक्षण सामग्री और निसबड से सीधे निवेशों (वीडियो कांफ्रेसिंग / ई-क्लासिस के माध्यम से) के साथ सहभागी संस्थान द्वारा अधिप्राप्त प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण प्रभार प्रायोजक ऐजेंसी से सहभागी संस्थान द्वारा प्राप्त किये जायेगें और प्रशिक्षण प्रभार के 20% की निसबड के साथ सहभागिता की जायेगी ।
(पपप) स्वयं वित्त पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु (जिनका प्रशिक्षण शुल्क का प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं भुगतान किया जायेगा) प्रशिक्षण शुल्क सहभागी संस्थान द्वारा निसबड के परामर्श द्वारा निर्धारित किया जायेगा और उसका 10% निसबड को प्रदान किया जायेगा । सहभागी संस्थान को निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने की अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी और उसका किसी प्रकार का उल्लघंन किये जाने को सहभागिता करारनामा तोड़ा जाना समझा जायेगा ।

5 उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने की प्रक्रिया

5 1 विज्ञापन जारी करना

5.1.1 निसबड सार्वजनिक निजी (पब्लिक प्राइवेट) सहभागिता मोड में उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाने की लिए विज्ञापन जारी करेगा ।

5 2 उद्यमिता विकास केन्द्रों की स्थापना हेतु आवेदन पत्र

5.2.1 विज्ञापनों के प्रत्युत्तर में इच्छुक पार्टियों / आवेदक सहभागी संस्थाओं को उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु / सहभागी संस्थान बनने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने होगें ।

5 3 आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल और लघु सूचीयन

5.3.1 आवदेन पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई सूचना और साथ लगाये गये दस्तावेजों के आधार पर आवेदन पत्रों की जांच–पड़ताल निसबड के कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता और दो अन्य वरिष्ठ संकाय सदस्यों से निर्मित समिति द्वारा की जायेगी और यदि आवेदक सहभागी संस्थान प्रथम दृष्टि में पात्रता मापदंड पूरा करता है तो उसका निरीक्षण हेतु लघु सूचीयन कर लिया जायेगा ।

5 4 निरीक्षण

5.4.1 उसके बाद लघु सूचीकृत आवेदको को निरीक्षण शुल्क जमा करने को कहा जायेगा और आवेदक द्वारा इस प्रकार का शुल्क जमा कर दिये जाने पर निसबड या तो आवेदक सहभागी संस्थान का निरीक्षण किये जाने हेतु अपने अधिकारियों / संकायो की टीम भेजेगा अथवा उसका निरीक्षण अधिकृत तीसरी पार्टी द्वारा करवाया जायेगा । संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की दशा में आवेदक सहभागी संस्थान को *''सैद्धान्तिक रूप में''* अनुमोदन प्रदान कर दिया जायेगा । रिपोर्ट में कमियां सूचित किये जाने की दशा में आवेदक सहभागी संस्थान निसबड की शर्तो और पात्रता मापदंड को पूर्णतः सतुंष्ट किये जाने हेतु उसमें अपेक्षित परिशोधन करेगा ।

5 5 सैद्धान्तिक रूप में मंजूरी

5.5.1 संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट और अन्य पात्रता शर्तो के पूरा कर लिये जाने के आधार पर आवेदक सहभागी संस्थान को उद्यमिता विकास केन्द्र खोलने हेतु *''सैद्धान्तिक रूप में''* मंजूरी प्रदान की जायेगी ।

5 6 आवेदक सहभागी संस्थान का संस्थागत सदस्य के तौर पर नामांकन

5.6.1 *''सैद्धान्तिक रूप में''* मंजूरी प्राप्त कर लेने पर आवेदक सहभागी संस्थान को निर्धारित शुल्क का भुगतान करके निसबड को संस्थागत सदस्य के रूप में नामांकित होना होगा ।

5 7 वीडियो कांफ्रेसिंग / ई-लर्निगं हेतु हार्ड एंड साफ्टवेयर का सृजन

5.7.1 उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सहभागी करारनामा निष्पादित किये जाने से पूर्व आवेदक सहभागी संस्थान को वीडियो कांफ्रेसिंग / ई-क्लासिस सुविधाओं के संस्थापन और अनुरक्षण हेतु नियुक्त तकनीकी परामर्शको की संतुष्टि के अनुसार वीडियो कांफ्रेसिंग / ई-क्लासिस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु अपेक्षित ढांचा संस्थापित करना होगा ।

5 8 सहभागिता करारनामें का निष्पादन

5.8.1 पात्रता मानदंड पूरा कर लेने और संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने और अपेक्षित ढांचे के संतोषजनक प्रस्थापन हो जाने के बाद आवेदक सहभागी संस्थान को *'अंतिम अनुमोदन'* प्रदान किया जायेगा और उसके बाद सहभागी संस्थान को निसबड के साथ सहभागिता करारनामा निष्पादित करना होगा ।

5 9 ई-क्लासिस हेतु वित्तीय अंशदान और प्रतिदेय सिक्योरिटी जमा करना

5.9.1 सहभागिता करारनामा निष्पादित कर लिये जाने के बाद सहभागी संस्थान को वीडियो कांफ्रेसिंग / ई-क्लासिस हेतु निर्धारित प्रभार का भुगतान करना होगा और यथा निर्धारित बिना ब्याज प्रदायगी के साथ प्रतिदेय सिक्योरिटी जमा करानी होगी ।

6 प्रशिक्षण कार्यक्रम

6 1 प्रशिक्षण कलैंडर

6.1.1. प्रत्येक उद्यमिता विकास केन्द्र को निसबड के साथ परामर्श करके पूरे वर्ष के लिए एक प्रशिक्षण कलैंडर तैयार करना होगा । निसबड उद्यमिता विकास केन्द्र को निसबड के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक सूची प्रदान करेगा । इसके अतिरिक्त उद्यमिता विकास केन्द्र भी सहभागी संस्थान द्वारा वर्ष के दौरान आयोजित किये जाने वाले सीधे अधिप्राप्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों और स्वयं वित्त पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक सूची तैयार करेगा और वर्ष के लिए प्रशिक्षण कलैंडर तैयार करेगा ।

6.1.2 उद्यमिता विकास केन्द्र स्थानीय समाचार पत्रों और मीडिया में विज्ञापन के तहत स्वंय वित्त पोषित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा । इनमें प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विषय, अवधि और प्रशिक्षण शुल्क का स्पष्ट उल्लेख होगा ।

6 2 प्रशिक्षणार्थियों का नामांकन

6.2.1 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु उद्यमिता विकास केन्द्र पर नामांकित सभी प्रशिक्षणार्थियों को अपने व्यैक्तिक विवरण यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूरा पता, स्थाई और पत्राचार–पिन कोड सहित, फोटोग्राफ, शैक्षिक योग्यताओं आदि के साथ अनिवार्यत: पंजीकृत होना होगा । उद्यमिता विकास केन्द्र डिजिटल फार्मेट में आवेदक का व्यक्तिगत प्रोफाईल तैयार करेगा (फोटोग्राफ स्केनड कापी के साथ) और इन विवरणों को निसबड के वैबसाईट / सर्वर पर रखेगा। सहभागी संस्थान प्रति नामांकित प्रशिक्षणार्थी से 100/– रुपये पंजीकरण शुल्क वसूल करने का पात्र होगा। इसके अतिरिक्त पंजीकरण शुल्क का 50% प्रमाण पत्रों (जिनमें प्रशिक्षार्थी के फोटो सहित उक्त समस्त विवरण होगें) की प्रिटिंग और हैंडलिंग की लागत हेतु निसबड को दिया जायेगा ।

6 3 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना

; उद्यमिता विकास केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु सहभागी करारनामें के अंतगर्त अनुमोदन की प्राप्ति हो जाने पर और ठीक जगह पर अपेक्षित ढांचा संस्थापित हो जाने पर सहभागी संस्थान निसबड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण कलैंडर के अनुसार संभावित प्रशिक्षणार्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुये विज्ञापन जारी करेगा ।

; पारदर्शी और उद्देश्यात्मक प्रवेश मापदंड का अनुसरण करते हुये प्रशिक्षणार्थियों को अधिकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत नामांकित किया जायेगा। सहयोगी संस्थान द्वारा नामाकिंत प्रशिक्षणार्थियों के विवरण का एक डाटा–बेस तैयार किया जायेगा और उसे निसबड के वैबसाईट / सर्वर पर रखा जायेगा ।

; नामांकित प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण किट प्रदान की जायेगी । निसबड को प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सामान्य श्रेणी के उम्मीद्वारों से प्रशिक्षण किट की निर्धारित लागत की वसूली की जायेगी । अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के प्रशिक्षणार्थियों के मामलो में प्रशिक्षण किट निशुल्क मुहैया कराई जायेगी और प्रोयाजक एजेंसी / मंत्रालय से निसबड को प्रशिक्षण किट की लागत की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सहायक दस्तावेजों सहित प्रशिक्षणार्थियों के विवरण निसबड को प्रस्तुत किये जायेगें ।

; सहभागी संस्थान प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन निसबड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम अनुसूची के अनुसार करेगा (वीडियो कांफ्रेसिंग के माघ्यम से ई–क्लासिस सहित) ।

; सहभागी संस्थान को सामान्य श्रेणी के प्रशिक्षणार्थियों से निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क वसूल किये जाने हेतु अधिकृत किया जायेगा। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षार्थियों से कोई प्रशिक्षण शुल्क (पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) नहीं वसूल किया जायेगा । ऐसे प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण शुल्क की

सहभागी संस्थान को निसबड के माध्यम से संबंधित प्रायोजक एजेंसी / मंत्रालय द्वारा प्रतिपूर्ति की जायेगी ।

6 4 प्रमाण पत्र प्रदान करना

6.4.1 निसबड द्वारा निर्धारित मूल्याकंन मापदंड के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा जो कि निसबड लोगो और होलोग्राम के साथ प्रशिक्षणार्थी की पंजीकरण संख्या और अन्य विवरण के साथ निसबड के साथ सिक्योरिटी प्रैस में प्रिंट होगा और जो निसबड के कार्यपालक निदेशक और उद्यमिता विकास केन्द्र के प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होगा ।

6 5 उद्यमों की प्रारंभिक (हैंड होल्डिंग) सहायता

6.5.1 उद्यमिता विकास केन्द्र द्वारा सरकारी और अन्य विकासात्मक एंजेसियों की विभिन्न विकासात्मक और संवर्धनात्मक स्कीमों का पूर्ण इस्तेमाल करते हुये उद्यमों की स्थापना किये जाने में प्रशिक्षणार्थियों को प्रारंभिक (हैंड होल्डिंग) सहायता मुहैया कराये जाने की आशा की जायेगी ।

6 6 अनुवर्ती कार्रवाई और अनुश्रवण (मानीटरिंग)

6.6.1 उद्यमिता विकास केन्द्रों से उत्तीर्ण प्रशिक्षार्थियों को ठीक रास्ता दिखाने, उन्हें अपेक्षित अनुवर्ती सहायता मुहैया कराये जाने, सफल कहानियों का दस्तावेजन किये जाने और कार्यक्रमों की प्रगति का अनुश्रवण (मानीटरिंग) किये जाने की आशा की जायेगी ।

7 विवाद

(प) निसबड और सहभागी संस्थान के बीच किसी भी विवाद का समाधान, जहां तक संभव होगा, दोनों संगठनों के अध्यक्षों के बीच पारस्परिक बातचीत से कर लिया जायेगा ।

(पप) जो विवाद पारस्परिक चर्चा से नहीं निपटाए जा सकेगें स्वतंत्र मध्यस्थ को, जिसकी विवादकों द्वारा पारस्परिक सहमति से नियुक्ति की जायेगी, सन्दर्भित किये जायेगें । जिसका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों को मानने के लिए बाध्यकारी होगा ।

(पपप) नोटिस भेजे जाने और अन्य न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण किये जाने हेतु मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 का अनुसरण किया जायेगा। इस मध्यस्थता का स्थान नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश होगा ।

8 उद्यमिता विकास केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

8.1 निसबड विभिन्न सहभागी संस्थाओं द्वारा स्थापित उद्यमिता विकास केन्द्रों की कार्य निष्पादकता की समय-समय पर समीक्षा करेगा। निसबड विभिन्न उद्यमिता विकास केन्द्रों की प्रगति की समीक्षा हेतु एक मासिक सूचना प्रणाली तैयार करेगा और अपने सभी सहभागी संस्थानों के साथ आवधिक समीक्षा बैठकों का आयोजन भी करेगा । निसबड निर्धारित मानकों और मापदंडों के मद्देनजर सहभागी संस्थानों के कार्यनिष्पादन की आवधिक समीक्षा भी करेगा । निसबड निरीक्षण किये जाने और प्रगति की रिर्पोर्टिंग किये जाने हेतु एक अधिकृत एजेंसी की भी नियुक्ति कर सकता है ।

9 करारनामे की समाप्ति

9.1 दोनो पार्टियों को दो माह का नोटिस देते हुये करारनामें को समाप्त करने का अधिकार होगा । इसके अतिरिक्त निसबड को सहभागी संस्थान द्वारा करारनामे की किसी धारा का उल्लघंन किये जाने की दशा में करारनामे को समाप्त करने का अधिकार होगा ।

9.2 सहभागी संस्थान द्वारा सहभागिता की शर्तो का पालन करने में चूक किये जाने अथवा उल्लघंन कये जाने के कारण सहभागी करारनामे की समाप्ति पर निसबड को सहभागी संस्थान द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी को जब्त करने का अधिकार होगा । तथापि पारस्परिक सहमति के साथ सामान्य परिस्थितियों में सहभागिता करारनामे की समाप्ति की दशा में सहभागी संस्थान द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी बकाया देनदारियों / हर्जाने को वसूल कर लेने के बाद वापिस कर दी जायेगी ।

9.3 एक बार करारनामा समाप्त हो जाने पर सहभागी संस्थान को निसबड के नाम अथवा लोगो का किसी भी रूप में इस्तेमाल करने करने की अनुमति नहीं होगी । यदि करारनामा समाप्ति के बाद भी सहभागी संस्थान निसबड के नाम और लोगो का इस्तेमाल करना जारी रखता है तो निसबड को मामले पर उचित कानूनी कार्रवाही करने का अधिकार होगा ।

9.4 इसके अतिरिक्त करारनामे की समाप्ति की दशा में अथवा अन्यथा की दशा में न तो निसबड का और न ही भारत सरकार का सहभागी संस्थान के स्टाफ / संकाय को किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति अथवा रोजगार प्रदान करने का दायित्व होगा ।

9.5 करारनामे की समाप्ति पर निसबड को करारनामे के निरस्तीकरण की, किसी भी ढंग से, जैसा भी वह उचित समझेगा, घोषणा / प्रचार करने का अधिकार होगा ।